

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.



अपील संख्या 35/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00039)

शिवपत सिंह पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी बनियाला तहसील
तारानगर जिला चूरु।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।
रेस्पोडेन्ट

उपस्थित: 1. श्री प्रहलाद जाखड - अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 28.02.2022

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरु के निर्णय दिनांक 10.12.2015 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार तारानगर के आदेश दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध जिला कलक्टर चूरु में अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर जिला कलक्टर चूरु द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.12.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, कैम्प चूरु में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 के आदेश / 1 (17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुये बहस के दौरान कहा कि भूखण्ड जैर अपील गांव

01
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर



बनियाला की आबादी भूमि में स्थित है जिसके पट्टे दिनांक 10.11.1987 व दिनांक 13.12.1983 में अपीलान्ट के बड़े भाई चन्दुराम के नाम से बने हुए है। इन पट्टों शुदा भूखण्डों पर पूर्व में अपीलान्ट का पिता फिर हम भाई सपरिवार रिहायश करते आ रहे है। अपीलान्ट के भाई चन्दुराम ने अपने सभी रिहायशी भूखण्डों का जब पारिवारिक बंटवारा किया तो पारिवारिक बंटवारे में पट्टे शुदा भूखण्डों में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के हक हिस्से में आ गया। इस प्रकार विवादित भूखण्ड पट्टे शुदा है जो आबादी भूमि में है। रिहायशी भूखण्ड पर मकानात, शौचालय, स्नानघर पक्के बने हुए है। भूखण्ड चारों ओर से पक्की चार दीवारी से घिरा हुआ है। विवादित भूमि पर वर्षों पुराने बड़े-बड़े पेड़ खड़े है। सन् 2010 से विधुत कनेक्शन किया हुआ है। इसी भूखण्ड पर विधुत कनेक्शन लेते समय वर्तमान सरपंच जो उस समय भी सरपंच था स्वयं ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। ऐसे भूखण्ड की भूमि को तहसीलदार तारानगर द्वारा मेरे खिलाफ गौचर की भूमि का हवाला देकर धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की कार्यवाही कर मेरे को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा विस्तार से जवाब व लिखित साक्ष्य पेश किये गये। केवल राजनैतिक द्वेषता के वशीभूत होकर अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2015 एवं जिला कलक्टर चूरु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 को खारिज फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध जिला कलक्टर चूरु के संमक्ष प्रस्तुत की गई अपील सं. 47/2015 के निर्णय दिनांक 10.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ

11
अति.संभागीय आयुक्त
सोनपट्टन



न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा ग्राम बनियाला के खसरा नं. 284 की 31 बीघा 17 बिरवा गैर मुमकिन गोचर भूमि में से 0.08 भूमि पर चारदीवारी एवं कमरा बनाकर अतिक्रमण करने के आधार पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए वेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर में जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख एवं विद्युत बिल की प्रतिया प्रस्तुत की तथा प्रश्नगत भूमि को आबादी भूमि का भाग होना बताते हुए राजस्व कर्मचारीयो की टीम गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्व कर्मचारीयो की टीम गठित कर कब्जे की वास्तविक लोकेशन तय करने के पश्चात तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की वैधानिकता के संदर्भ में जांच के उपरान्त निर्णय लिया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 एवं नायब तहसीलदार तारानगर का निर्णय दिनांक 11.08.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार तारानगर को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाकर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।